>

Title: Need to confer dwelling rights on tribal people living in wild life sanctuaries in Madhya Pradesh.

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (शिवा) : महोदय, देश में कई राज्यों में जहां सघन वन हैं, अभ्यारण्य स्थापित हैं, इन अभ्यारण्यों की शृंखला में राजस्थान व मध्य प्रदेश जहां बडे बडे वन हैं, अच्छे व लंबे, चौड़े आकार (विस्तृत भूभाग में) अभ्यारण्य है, किंतु देखने में आया है कि इन अभ्यारण्यों की पर्याप्त देखभाल व सामयिक समस्याओं के चलते बड़ी मात्रा में या बड़े भूभाग में वनों कटाई होकर प्रायः कई भाग वृक्षहीन हो गये हैं, इन अभ्यारण्यों से वन क्षेत्र में वर्षानुवर्ष से मुख्यतः आदिवासी व दूसरे ग्रामीण रहते आये हैं व वहां कृषि व पशुपालन से अपना जीवनयापन करते हैं, इनके द्वारा वनों को कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई गई है, किंतु विगत कुछ समय से इन्हें वहां से बेदखल किये जाने के प्रयास हो रहे हैं और इसके पीछे अधिकारयों का तर्क है कि वनभूमि में इनका अतिक्रमण है जो सर्वथा तथ्यहीन है, क्योंकि ऐसे सभी आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी से व अन्य भी वहांरहकर अपना जीवनयापन करते हैं। हाल ही में राजस्वव वनभूमि को रेखांकित कर विभाजित करने का क्रम मध्य प्रदेश के कई अभ्यारण्य व अन्य वन क्षेत्रों में चला है। इससे उन हजारों आदिवासियों के परिवारों के समक्ष जीवनयापन का तथा निवास आदि का संकट उपस्थित हो गया है।

अतः मेरा पर्यावरण व वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से मानवीय दृष्टिकोण से अपनायें ताकि वनों की सुरक्षा भी हो तथा आदिवासी संकट में न पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां पर ऐसी बसाहटें हैं वहां इन आदिवासियों द्वारा यह मानकर की वन हमारे देवता हैं, उनकी रक्षा की है। अतः उन्हें वन एवं राजस्व भूमि के रेखांकन को लेकर बेदखल न किया जाये।